

दिनांक	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला। ऑर्डर-शीट सरकार बनाम अशोक वगैरह फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 208/14 (1178/14)	विवरण
04.12.2025	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण नेमीचंद व मुल्तानराम वर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। अन्य अभियुक्तगण भागीरथ, निम्बाराम, कालुराम, देवाराम, शिवप्रकाश, वीरेंद्र, बाबुलाल, मदन, राजेंद्र, खेताराम, धमेंद्र काला, अशोकराम, राजेंद्र सोनी, राजूराम पुत्र देवाराम, चिमनसिंह, राजुराम खोजा, श्यामलाल, भोमाराम, हड़मानराम पुत्र भाकरराम, प्रदीप खोजा, मेघसिंह, विक्रमसिंह, किशनसिंह, रामकिशोर चौधरी व हड़मान खोजा की आज की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ जो आज हेतू स्वीकार किया जाता है शामिल पत्रावली रहे। अभियुक्त पूनमसिंह न्यायिक अभिरक्षा से अनुपस्थित, जिसका केवल जे.सी. वारंट ही पेश हुआ। अन्य अभियुक्त विकास चौधरी का जारीसुदा प्रोडक्शन वारंट लौटकर प्राप्त नहीं हुआ है, जो पुनः जारी किया जावें, प्रोडक्शन वारंट पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावें कि प्रकरण पुराना है तथा वर्ष 2011 से लंबित होने के साथ ही न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है अतः प्रोडक्शन वारंट की तामील असातन विशेष वाहक के द्वारा करवाई जावें। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम के दिनांक 20.12.2025 को पेश हों। तब तक अभियुक्त पूनमसिंह की जे/सी अवधि बढ़ाई जाती है।	<i>(Handwritten in blue ink):</i> अशोक (नेमीचंद) मुल्तानराम

(Stamp in blue ink):
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला